



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल-dfof.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

क्र०/तक०/5314

प्रति,

सिंगरौली, दिनांक. 21.08.2024

महाप्रबंधक

म0प्र0 जल निगम

मर्यादित परिकेई सिंगरौली

विषय:-

सिंगरौली जिले में बैदन-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 3.4296 हे० वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 3.445 हे०) मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/WATER/153484/2022)

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MBP051/2023-BHO/I/79871 दिनांक 15.08.2024

-000-

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (1) से बैदन-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली में प्रभावित रकबा 3.4296 हे० वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 3.445 हे०) वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) शर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र गोरबी का कक्ष क्र० PF 99, 103, 146, 154, 184, 185, 187, 163, 190, 192, 193, 168, 167, 166, 171, 173, 194, 178, 179, 125, एवं RF 123, वन परिक्षेत्र कर्धुआ का कक्ष क्रमांक PF 20, 835, 836, एवं RF 97, 803, 810, 811, 799, 801, 798, 809, वन परिक्षेत्र जियावन का कक्ष क्रमांक RF 804, 805, 806, 812 आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है।

है :-

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) शर्त स्वीकृति के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का विवरण निम्नानुसार

क्र०	मद का नाम	रकबा (हे० में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	3.4296	32,84,802 /-	-	32,84,802 /-
	योग:-		32,84,802 /-	-	32,84,802 /-

3. क्षतिपूर्ती वनीकरण रकबा 3.4296 हे० (out of 67.30 हे०) की राशि, प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151345/2022 से जमा करने हेतु लेख किया गया है। एवं एन.पी.वी. की राशि रु. 32,84,802 /- (रु. बत्तीस लाख चौरासी हजार आठ सौ दो मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

4. प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करे, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

Shri
Anj. form a.

Pankaj

पू०क्र०/तक०/5315

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक. 21.08.2024

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली